



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780 ]

No. 780]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 25, 2001/कार्तिक 3, 1923

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2001/KARTIKA 3, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2001

का. आ. 1062 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, अपने-अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का 45) की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड), केवल न्यासी समिति के किसी सदस्य को हटाने की बाबत धारा 5 की उपधारा (1), केवल न्यासी समिति के किसी सदस्य के त्यागपत्र की बाबत धारा 6 की उपधारा (1), केवल न्यासी समिति के किसी सदस्य के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने की बाबत धारा 6 की उपधारा (3), धारा 12, धारा 26 की उपधारा (1), धारा 27 की उपधारा (1) के परन्तुक, धारा 32 की उपधारा (1), धारा 33, धारा 34 और धारा 35 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/1/2001-यू. टी. एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2001

S.O. 1062(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all the Union Territories shall, subject to the control of the President and until further orders, within their respective territories, exercise the powers, and discharge the functions, of the appropriate Government under sub-section (1) of section 3, sub-section (1) of section 4, clause (e) of sub-section (3) of section 4, sub-section (1) of section 5 only regarding removal of a Member of the Trustee Committee, sub-section (1) of section 6 only regarding resignation of a Member of the Trustee Committee, sub-section (3) of section 6 only regarding filling up of a casual vacancy in the office of a Member of the Trustee Committee, section 12, sub-section (1) of section 26, provisos to sub-section (1) of section 27, sub-section (1) of section 32, section 33, section 34 and section 35 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 (45 of 2001).

[F.No. U-11030/1/2001-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.